न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी महोदय, मेड़ता

बजईलास :– श्री काशीराम चौहान, आर ए एस

राजस्व वाद सं. 233/2012,

वादीया :–

खैरूनिशा पुत्री स्व. श्री गफूर खां पत्नी श्री रफीक अहमद कादरी, जाति मुसलमान सिपाही, उम्र 72 वर्ष, निवासी तलहटी मौहल्ला, मेड़तासिटी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सतार खां पुत्र स्व. श्री गफूर खां, जाति मुसलमान सिपाही, उम्र 70 वर्ष, निवासी सातलावास रोड़, मेड़तासिटी, जिला नागौर (राज.)
2. अजीज खां पुत्र स्व. श्री गफूर खां, जाति मुसलमान सिपाही, उम्र 65 वर्ष, निवासी प्रिन्स टॉकिज के पीछे, मेड़तासिटी, जिला नागौर (राज.)
3. हबीब खां पुत्र स्व. श्री गफूर खां, जाति मुसलमान सिपाही, उम्र 62 वर्ष, निवासी प्रिन्स टॉकिज के पीछे, मेड़तासिटी, जिला नागौर (राज.)
4. मजीद खां पुत्र स्व. श्री गफूर खां, जाति मुसलमान सिपाही, उम्र 60 वर्ष, निवासी प्रिन्स टॉकिज के पीछे, मेड़तासिटी, जिला नागौर (राज.)
5. सलीम पुत्र स्व. श्री गफूर खां, जाति मुसलमान सिपाही, उम्र 70 वर्ष, निवासी प्रिन्स टॉकिज के पीछे, मेड़तासिटी, जिला नागौर (राज.)
6. इन्साफ पुत्र स्व. श्री कालू खां, जाति सिपाही मुसलमान, उम्र 45 वर्ष, निवासी सातलावास रोड़, मेड़तासिटी, जिला नागौर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

7. सरदार पुत्र स्व. श्री कालू खां, जाति सिपाही मुसलमान, उम्र 40 वर्ष, निवासी सातलावास रोड़, मेड़तासिटी, जिला नागौर (राज.)
8. राजू उर्फ खुर्शीद पुत्र स्व. श्री कालू खां, जाति सिपाही मुसलमान, उम्र 38 वर्ष, निवासी सातलावास रोड़, मेड़तासिटी, जिला नागौर (राज.)
9. कलसुम पत्नी स्व. कालू खां, जाति सिपाही मुसलमान, उम्र 60 वर्ष, निवासी सातलावास रोड़, मेड़तासिटी, जिला नागौर (राज.)
10. गीतादेवी पत्नी श्री सूरजकरण, जाति अग्रवाल, उम्र वर्ष, निवासी मेड़तासिटी, जिला नागौर (राज.)
11. मोहम्मद नफीस पुत्र श्री मोहम्मद अमीन, जाति मुसलमान सिपाही (शैरानी), उम्र 20 वर्ष, निवीस तलहटी मौहल्ला, मेड़तासिटी, जिला नागौर (राज.)
12. रूबिना पुत्री श्री मोहम्मद अमीन, जाति मुसलमान सिपाही (शैरानी), उम्र 18 वर्ष, निवीस तलहटी मौहल्ला, मेड़तासिटी, जिला नागौर (राज.)
13. संतोष सिंह पुत्र श्री मेघाराम, जाति माली, उम्र 50 वर्ष, पता आकलिया रेल्वे स्टेशन के नजदीक, मेड़तासिटी, जिला नागौर (राज.)
14. मोहम्मद सलीम पुत्र श्री सदीक खां, जाति मुसलमान सिपाही (शैरानी), उम्र 50 वर्ष, निवासी आकलिया, रेल्वे स्टेशन के नजदीक, मेड़तासिटी, जिला नागौर (राज.)
15. चम्पालाल पुत्र स्व. श्री सुगनचंद, जाति माली, उम्र 55 वर्ष, पता आकलिया रेल्वे स्टेशन के नजदीक, मेड़तासिटी, जिला नागौर (राज.)
16. निसार अहमद पुत्र श्री अल्लादीन, जाति मुसलमान सिपाही पंवार, उम्र 60 वर्ष, पता आकलिया, रेल्वे स्टेशन के नजदीक, मेड़तासिटी, जिला नागौर (राज.) रेसज्यू
17. सराजूदीन पुत्र श्री हाजी मोहम्मद, जाति घोसी मुसलमान, उम्र 58 वर्ष, पता मोयल मार्केट के नजदीक, घोसीवाड़ा, मौहल्ला, मेड़तासिटी, जिला नागौर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

18. तहसीलदार साहब मेड़ता, तहसील कार्यालय मेड़तासिटी

दावा बाबत विभाजन, आधिपत्य, घोषणा खातेदारी अधिकार अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 15/11/19

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने विरूद्ध प्रतिवादीगण के यह वाद सम्पति के उत्तराधिकार व विभाजन के सम्बन्ध में मुस्लिम विधि से शासित होते हुऐ दिनांक 26–10–2012 को पेश किया कि वादीया व प्रतिवादी सं. 1 से 9 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा उत्तराधिकार व विभाजन के मामले में मुस्लिम विधि से शासित होते हैं, वादीया व प्रतिवादी सं. 1 से 5 स्व. श्री गफूर खां पुत्र श्री नैनू खां, जाति सिपाही मुसलमान, निवासी मेड़तासिटी के उत्तराधिकारी हैं। उपरोक्त वंशावली के अनुसार स्व. श्री गफूर खां के सात पुत्र थे, जिसमें से प्रतिवादी सं. 1 से 5 हैं तथा दो पुत्र कालू खां व सबसे छोटा पुत्र खुर्शीद खां फौत (निधन) हो चुके हैं। कालु खां के उत्तराधिकारी प्रतिवादी सं. 6 से 9 हैं। स्व. श्री गफूर खां जी की मेड़तासिटी में स्थित कृषि भूमि जिस पर वे काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1822	71 बीघा 03 बिस्वा	बी 3
2749	06 बीघा 02 बिस्वा	बी 2
2767	15 बीघा 16 बिस्वा	बी 2
2517	01 बीघा 05 बिस्वा	बी 3
2518	17 बीघा 01 बिस्वा	बी 3
2521	04 बीघा 14 बिस्वा	बी 3
2522	02 बीघा 09 बिस्वा	बी 3
2524	03 बीघा 13 बिस्वा	बी 3

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

2525	02 बीघा 17 बिस्वा	बी 3
2526	03 बीघा 19 बिस्वा	बी 3
2523	03 बीघा 14 बिस्वा	सी 4
2512	02 बीघा 02 बिस्वा	बी 3
505	45 बीघा 06 बिस्वा	सी 4
506	47 बीघा 14 बिस्वा	बी 2
507	03 बीघा 05 बिस्वा	बी 2
2514	03 बीघा 03 बिस्वा	बी 3
2516	05 बीघा 14 बिस्वा	बी 3
2515	00 बीघा 17 बिस्वा	गै.मु.बेरा

उक्त आराजी स्व. गफूर खां जी की कुल 240 बीघा मेड़तासिटी में कृषि भूमि स्थित हैं, उनका निधन होने के पश्चात् वादीया व प्रतिवादी सं. 1 से 9 को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई हैं, जिसमें मुस्लिम उत्तराधिकार व विभाजन के अनुसार वादीया का 1/13 हिस्सा बनता हैं, वादीया महिला व वृद्ध होने के कारण वर्तमान खसरा नम्बर पटवारी हल्का मेड़तासिटी से प्राप्त नहीं कर सकी। जिससे पुराने खसराओं के आधार पर वादीनी ने उक्त वाद पेश किया हैं तथा नया खसरा नम्बर का विवरण जानकारी प्रस्तुत होने पर पेश कर दिये जायेगें। स्व. श्री गफूर खां का निधन होने के पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 से 5 तथा 6 से 8 के पिता ने व वादीनी के भाई खुर्शीद ने एक राय होकर वादीनी का अनपढ़ व महिला होने का नाजायज लाभ उठाते हुऐ गोपनीय रूप से वादीनी को पक्षकार बनाये बिना ही अर्थात वादीनी की जानकारी में लाये बिना ही उपरोक्त आराजीयों में से वादीनी का हिस्सा वंचित करने की नियत से माननीय न्यायालय से राजस्व वाद क्रमांक 57/1966 विभाजन हेतु प्रस्तुत कर वादीनी को पक्षकार बनाये बिना ही गलत व धोखे से डिक्री करवा ली और उक्त डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख भी दर्ज हो गया, जिससे वादीनी का अधिकारी समाप्त नहीं होता हैं, वादीनी के विरूद्ध उक्त डिक्री प्रभावहीन शुन्य व बेअसर हैं, उक्त डिक्री से वादीनी विधि अनुसार बाध्य नहीं हैं,

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

जिससे उक्त डिक्री को निरस्त किया जाना आवश्यक नहीं हैं। उक्त डिक्री धोखे से व तथ्य छिपाकर प्राप्त करने से इन आराजीयों में से खेत खसरा नं. 2526 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा किस्म बी 3 का अन्तरण सलीम पुत्र निजाम खां जाति सिपाही मुसलमान व फैयाज अली पुत्र श्री सदीक खां, जाति सिपाही मुसलमान, निवासी मेड़तासिटी को कर दिया, जिन्होंने उक्त आराजी का अन्तरण प्रतिवादी सं. 10 को कर दिया, इसी प्रकार खसरा नं. 1822 रकबा 71 बीघा 03 बिस्वा किस्म बी 3 में कुछ भू भाग प्रतिवादी सं. 11 से 17 को पंजीकृत बेचाननामा के अन्तरण कर दिया। उक्त अन्तरण भी वादीनी के विरूद्ध शुन्य व बेअसर हैं। सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्तरण में किसी क्रेता को विक्रेता के हित से अधिक हित का अन्तरण नहीं हो सकता हैं। यदि इस सम्बन्ध में किसी अन्य के हिस्से का अन्तरण किया जाता हैं, तो वो अन्तरण प्रभावहीन शुन्य होता हैं, इसलिए उक्त अन्तरण वादीनी के प्रति शुन्य व प्रभावहीन हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी सं. 10 से 17 को वादीनी के हितों तक किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं। वादीनी द्वारा सहूलियत के अनुसार इन खेतों में कभी किसी भी खेत पर व कभी दुसरे खेत पर काश्त की जाती थी। कभी प्रतिवादीगण इन खेतों में वादीनी की ओर से काश्त कर वादीनी को उसका हिस्सा दे दिया करते, इस प्रकार यह आराजीयान अविभाजित हैं। दिनांक 09–08–2012 को बारिश होने पर वादीनी उपरोक्त आराजीयों में से सातलावास रोड़ पर जो आराजी स्थित हैं, वहां गई, तब प्रतिवादी सं. 1 से 5 वादीनी के आड़े फिर गये और वादीनी को प्रवेश करने नहीं दिया और वादीनी के इन खेतों में हक देने से इंकार हो गये, तब वादीनी ने प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 से अपने 1/13 हिस्से की मांग की, तो प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने वादीनी को हिस्सा देने से इंकार करते हुऐ कहा कि इन खेतों का तो वह कभी का विभाजन करवा चुके हैं और प्रतिवादी सं. 10 व 17 को इनका अन्तरण भी किया गया हैं, तब वादीनी को जानकारी हुई

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

कि वादीनी को पक्षकार बनाये बिना ही उक्त आराजी का बंटवाड़ा कर लिया गया हैं। प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने वादीनी को यह भी कहा कि प्रतिवादी सं. 1 से 9 अब शेष बची हुई आराजीयों को भी अन्तरण कर देगें, जिससे वादीनी उक्त आराजीयों में अपना हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकेगी, जिस पर वादीनी ने प्रतिवादी सं. 9 को पूछताछ की, तब उसने वादीनी को इन खेतों की जमाबंदी की विक्रम संवत् 2025 से 2028 तक की जमाबंदी की नकल व उक्त डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज किये गये नामान्तरण पंजिका की नकल उपलब्ध करवाई। तब वादीनी को उक्त डिक्री की जानकारी हुई, जिस पर वादीनी ने दिनांक 16–09–2012 को अपने पति के मार्फत मेड़ता पटवारी से पता लगाया, जिससे वादीनी ने यह वाद प्रस्तुत किया हैं। वादीनी उक्त वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजीयों में से मुस्लिम विधि के अनुसार वादीनी का 1/13 हिस्सा बनता हैं। वादीनी स्व. श्री गफूर खां की पुत्री हैं और उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 से 9 का भी हक व अधिकार हैं। वाद कारण दिनांक 15–09–2012 को जब प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 ने वादीनी को उक्त खेत में काश्त करने हेतु मना किया तथा वादीनी को अधिकार देने से मना किया तथा इन खेतों के सम्बन्ध में प्रतिवादी सं. 1 व उसके भाईयों द्वारा मिलावट कर वाद क्रमांक 57/1966 विभाजन हेतु प्रस्तुत कर गलत तरीके व धोखे से डिक्री करवा ली और बाद में प्रतिवादी सं. 10 से 17 को अन्तरण करने से उत्पन्न हुआ। जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हैं।

2. प्रतिवादीगण सं. 2 व 5 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि वादीनी प्रतिवादी के परिवार की सदस्य तो है और सम्पति के उत्तराधिकार व विभाजन के मामले में मुस्लिम विधि से शासित होते हैं। लेकिन प्रतिवादी सं. 2 व 5 के जवाब दावा के अनुसार खुर्शीद नाम का कोई भी पुत्र वादीनी के पिता गफूर खां के नहीं था। प्रतिवादी सं. 5 सलीम को ही खुर्शीद के नाम से पुकारते थे और प्रतिवादी सं. 5 सलीम ही खुर्शीद हैं, जो दोनों नाम से जाना व पहचाना जाता हैं तथा उपरोक्त आराजीयों में

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

वादीनी का काश्त व कब्जा नहीं रहा, वर्तमान में उक्त आराजी मौके पर बंटी हुई हैं और बंट होने से ही उक्त आराजीयों का अन्तरण हुआ हैं। वादीनी के पिता के फौत होने के बाद सही रूप से म्यूटेशन भरा गया हैं, माफिक बंटवाड़ा के अनुसार रेकर्ड में नाम चढ़े हैं और वादीनी को जब वादीनी की शादी हुई, तब वादीनी को सोने चांदी के जेवर व नगद रूपये दे दिये थे, वादीनी की शादी आज से 50 साल पहले हुई थी और 50 साल पहले ही वादीनी को शादी के समय सोने चांदी के जेवरात व नगद रूपये बंट दे दिये थे। वादीनी का उक्त आराजी में 1/13 हिस्सा नहीं बनता हैं। वादीनी के पुत्र व पुत्रियों की शादी के समय 7 मायरे भर दिये। वादीनी उक्त खसरा में बंट नहीं मांग सकती, वादीनी ने उक्त वाद जमीनों के भाव बढ़ जाने से लालच में आकर झूठा वाद पेश किया हैं तथा उक्त आराजीयों का राजस्व वाद सं. 03/2001 राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सहायक कलेक्टर मेड़ता के यहां से दिनांक 31–08–2004 को डिक्री किया गया।

3. प्रतिवादीगण सं. 4, 6 से 9 की ओर से भी जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि वादीनी ने सही वाद पेश नहीं किया हैं और उक्त वाद गलत होने से अस्वीकार हैं। गफूर खां के सबसे छोटे पुत्र खुर्शीद न होकर सलीम हैं और प्रतिवादी सं. 4, 6 से 9 ने अपने जवाब दावा के पैरा सं. 2 में वादीनी को स्व. श्री गफूर खां की पुत्री होना स्वीकार किया हैं और यह भी स्वीकार किया है कि 240 बीघा आराजी स्व. गफूर खां जी की थी, उन्होंने अपने जीवन काल में वादीनी का विवाह रफीक अहमद कादरी के साथ कर दिया और उक्त विवाह के समय ही वादीनी को नगदी व गहने देकर वादीनी का हक, हकूक, बंट दे दिया और वादीनी ने मौखिक रूप से अपना हिस्सा अपने पिता व भाईयों को तर्क कर दिया। इस प्रकार उक्त मुतनाजा जायदाद में वादीनी का 1/13 हिस्सा नहीं बनता हैं। वादीनी के पिता अपने जीवन काल में ही उक्त न्यायालय में उक्त आराजी का बंटवाड़े का वाद पेश कर जरिये राजीनामा के डिक्री हो चुका हैं। जब उक्त वाद डिक्री हुआ,

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

तब प्रतिवादी सं. 5 सलीम का जन्म नहीं हुआ था। इसलिए सलीम पक्षकार नहीं था। इस प्रकार सभी पक्षकारान अपने हिस्से में आई जायदाद पर अपने बंट के अनुसार काबिज हैं, वादीनी ने मौखिक रूप से अपनी शादी के समय अपने पिता से एक मुश्त हिस्सा प्राप्त करके तर्क कर दिया हैं। इस प्रकार वादीनी का उक्त आराजी में कोई बंट नहीं हैं। प्रतिवादीगण ने आगे के पैरे में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी सं. 5 सलीम का जन्म नहीं होने से उक्त वाद में पक्षकार नहीं था और प्रतिवादी सं. 5 सलीम ने अपना भाई खुर्शीद जो लाऔलाद फौत हो चुका था, उसके स्थान पर अपना नाम सलीम उर्फ खुर्शीद दर्ज करवाकर उक्त आराजी का अन्तरण किया हैं, प्रतिवादी सं. 5 सलीम ने अपने पिता गफूर खां के बंट में जो आराजी आई थी, उसको भी अकेले अपने नाम करवा लिया हैं, जो गलत करवाया हैं, सलीम होशियार व चालाक हैं, खुर्शीद के बंट की जमीन बदनियति से हड़प ली हैं। वादीनी कभी भी उक्त आराजी पर काश्त करने नहीं गई, इसलिए वादीनी 1/13 हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकती हैं।

4. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित तनकियात कायम की गई :–

<u>तनकियात</u>

1. आया वादीया स्व. श्री गफूर खां की पुत्री हैं। जिसका सिजरा खानदान प्रतिवादी सं. 1 से 9 हैं तथा गफूर खां के खेत खसरा नं. 1822 रकबा 71 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं. 2749 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 2767 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 2517 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 2518 रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 2521 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 2522 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं. 2524 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 2525 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 2526 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 2523 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 2512 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 505 रकबा 45

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं. 506 रकबा 47 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 507 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 2514 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं. 2516 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 2515 रकबा 00 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 240 बीघा आराजी में से वादीया का 1/13 हिस्सा हैं।

वादीया

2. आया वाद क्रमांक 57/1966 प्रतिवादीगण ने वादीया के बाले–बाले अर्थात वादी की जानकारी के बिना वादी को बिना पक्षकार बनाये डिक्री करवा ली, जिससे वादीया के अधिकार समाप्त नहीं होते और उक्त खेत बेचान प्रतिवादी सं. 11 से 17 पंजीकृत होने पर वादीया के विरूद्ध शून्य व बेअसर हैं।

वादीया

3. आया पूर्व में जो बंटवाड़ा (डिक्री) हुई हैं, उसकी जानकारी वादीनी को हैं।

प्रतिवादी सं. 2 से 5

4. अन्य अनुतोष।

वादीया

तत्पश्चात् उक्त पत्रावली में वकील प्रतिवादी सलीम उर्फ खुर्शीद की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का पेश किया गया, जिसे दिनांक 22–12–2017 को खारिज किया गया। जिससे उक्त पत्रावली न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को निगरानी सं. 200/2018 में प्रेषित की गई। जिस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 02–07–2018 के क्रम में अतिरिक्त तनकी सं. 5 कायम की गई।

5. आया वाद सं. 03/2001 का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–08–2004 को होने से वर्तमान वाद काबिल खारिज के हैं।

प्रतिवादी सं. 5

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

6. वादीनी ने अपने वाद के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी डब्ल्यू 1 के रूप में वादीनी स्वयं की शपथपत्र साक्ष्य लेखबद्ध करवायी तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ सम्पति के उत्तराधिकार व विभाजन के मामले में मुस्लिम विधि से शासित हो हुऐ उक्त आराजी में से 1/13 हिस्सा की मांग की तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादीनी ने अपना जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 1/ए और पासपोर्ट प्रदर्श 2 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 2/ए, प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत् 2045–48 खाता सं. 1402 हैं, प्रदर्श 4 विक्रम संवत् 2067 से 2070 जमाबंदी खाता सं. 167 हैं, प्रदर्श 5 जमाबंदी 2067 से 2070 व खाता सं. 83 हैं, प्रदर्श 6 जमाबंदी खाता सं. 14 हैं, प्रदर्श 7 खाता सं. 1402, म्यूटेशन सं. 714 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 8 हैं, म्यूटेशन सं. 715 प्रदर्श 9 हैं, जमाबंदी प्रदर्श 10 हैं, खाता सं. 133 हैं। वादीनी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि वादीनी गफूर खां की पुत्री हैं, गफूर खां के सात पुत्र हैं व केवल मात्र एक पुत्री वादीनी हैं तथा गफूर खां जी के 5 संतान जीवित हैं, दो संतान कालू व खुर्शीद फौत हो चुके हैं, यह सही है कि खुर्शीद व सलीम अलग–अलग नाम के दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नहीं हैं और यह भी स्वीकार किया कि खुर्शीद के फौत हो जाने के पश्चात् सलीम का जन्म हुआ व वादीनी ने यह भी स्वीकार किया मेरा विवाह 20 वर्ष की उम्र में हुआ था और मेरे विवाह हुऐ 55 वर्ष बीत चुके हैं, वादीनी ने निकाह के समय परिवार वालों के द्वारा सोना, चांदी कुछ भी देने का कथन नहीं किया और वादीनी ने अपनी जिरह में यह स्पष्ट किया कि यह कहना गलत है कि मुझे सोना चांदी देकर व मायरा भरकर मेरे भाईयों ने मुझे अपना हिस्सा दे दिया हो और मैंने अपना हिस्सा भाईयों को तर्क कर दिया हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner

7. प्रतिवादी की ओर से उक्त प्रकरण में प्रतिवादी सं. 5 सलीम उर्फ खुर्शीद डी डब्ल्यू 1 के रूप में अपने बयान लेखबद्ध करवाये, जिसने अपने शपथ पत्र में जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुऐ उक्त आराजी में वादीनी का 1/13 हिस्सा होने से इंकार किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 13 मुकदमा सं. 03/2001 व प्रदर्श 14 राजीनामा, प्रदर्श 15 से लगातार प्रदर्श 17 तक वकालतनामा की सत्य प्रतिलिपियां व प्रदर्श 18 पासबुक की मूल प्रति की फोटो प्रति प्रदर्श 18/1, प्रदर्श 19 किसान कार्ड व उसकी फोटो प्रति 19/1, प्रदर्श 20 प्रार्थना पत्र नं. 359/12 फैसले की प्रतिलिपि, प्रदर्श 21 वाद सं. 03/2001 के फैसले की सत्य प्रतिलिपि हैं। **जिरह** में इस गवाह ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया वादीनी खैरूनिशा मेरी सगी बहन हैं, जो सबसे बड़ी हैं, जिसका निकाह किस तारीख, माह, वर्ष को हुआ, मुझे पता नहीं, यह कहना गलत है कि हम सात भाई हैं, अजखुद कहा कि हम छः भाई हैं। यह कहना गलत है कि खुर्शीद लाऔलाद व अविवाहित फौत हो गया हो, अजखुद कहा कि खुर्शीद व सलीम मैं ही हूं। यह सही है कि मेरे पिता गफूर खां के मेड़तासिटी में 240 बीघा जमीन आई हुई हैं, जिसके सम्बन्ध में यह मुकदमा किया हैं और मैंने जो प्रदर्श 13 के मुकदमे में खैरूनिशा को पक्षकार नहीं बनाया हैं और राजीनामा प्रदर्श 14 में भी खैरूनिशा के हस्ताक्षर नहीं हैं, न ही वह पक्षकार हैं, प्रदर्श 15 से 17 में खैरूनिशा पक्षकार नहीं हैं, न ही उसके हस्ताक्षर हैं और न ही उक्त मुकदमे में खैरूनिशा पक्षकार थी। प्रदर्श 20 में भी खैरूनिशा के हस्ताक्षर नहीं हैं, न ही वह पक्षकार हैं। इस जमीन के सम्बन्ध में सन् 1966 व 2004 में जो मुकदमे हुऐ उक्त दोनों मुकदमे में खैरूनिशा कभी भी कोर्ट में नहीं आई व न ही उक्त मुकदमे में पक्षकार थी और न ही कहीं खैरूनिशा के हस्ताक्षर हैं। मैं आज ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य साथ लेकर नहीं आया हूं, जिससे यह साबित होता हो कि रफीक

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

अहमद कादरी ने खेतों का म्यूटेशन भरवाया हो, सन् 1966 में खैरूनिशा का निकाह रफीक कादरी के साथ में हुआ हो तो मुझे पता नहीं हैं। यह सही है कि उक्त खेतों के बंटवाड़े के विरूद्ध मेरे भाई मजीद ने सिविल कोर्ट मेड़तासिटी में मेरे विरूद्ध डिक्री केन्सीलेशन का वाद पेश कर रखा हैं, जो अभी सिविल कोर्ट मेड़तासिटी में विचाराधीन हैं। यह सही है कि मैं आज ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य साथ लेकर नहीं आया हूं, जिससे यह साबित होता हो कि रफीक अहमद कादरी हमारे घर की पंच पंचायती करते हो और न ही मैंने ऐसे कोई दस्तावेज फाईल में पेश किये हैं। उपरोक्त दोनों मुकदमें सन् 1966 व 2004 में खैरूनिशा पक्षकार नहीं थी और न ही कहीं उसके हस्ताक्षर हैं और उक्त आराजीयों में से यह जमीन अन्तरण की गई हैं, इसमें भी खैरूनिशा के कहीं हस्ताक्षर नहीं हैं, वादीनी खैरूनिशा को दहेज में क्या दिया, वो मेरे को पता नहीं, खैरूनिशा का मायरा किस तारीख, माह, वर्ष को भरा गया, मुझे पता नहीं। उक्त 240 बीघा जमीन में से मैंने अकेले ने 15 बीघा जमीन बेचान की थी, जिसमें से 10 बीघा की बेचान रजिस्ट्री मैंने बनवा दी, लेकिन 5 बीघा की रजिस्ट्री नहीं बनवाई हैं। उक्त आराजी खेती के प्रयोजनार्थ में काम आते हैं, जिनमें अभी मूंग व ज्वार की फसल बोई हुई हैं। यह भी सही है कि उक्त खेतों के सम्बन्ध में जब 1966 में मुकदमा हुआ, उस मुकदमे में मैं पक्षकार नहीं था, मैं अनपढ़ हूं, मुझे पता नहीं, मेरे जवाब दावा व शपथ पत्र में क्या लिखापढ़ी हुई।

8. उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से डी डब्ल्यू 2 के रूप में इंसाफ पुत्र श्री कालू खां जाति सिपाही मुसलमान, निवासी मेड़तासिटी के बयान लेखबद्ध हुऐ उक्त इंसाफ ने अपने शपथ पत्र में वादीनी के हिस्से को अस्वीकार करते हुऐ पक्षकारान को मुस्लिम समुदाय से होने की बात स्वीकार की। दस्तावेजी साक्ष्य में बंटवाड़ा माफिक निर्णय व डिक्री के अनुसार प्रदर्श 8 नामान्तरण भरा गया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिप प्रदर्श 8, प्रदर्श

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

9, प्रदर्श 10 हैं तथा वादग्रस्त खातेदारी का बंटवाड़ा का खाता सं. 714 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श ए–1 हैं, का नामान्तरण सं. 715 मेड़ता की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–2 हैं। **जिरह** में इस गवाह ने यह स्पष्ट रूप से कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी के कुल कितने खसरान हैं, मुझे पता नहीं, कौन–सा खसरा कौन बोता हैं, मुझे पता नहीं, किसके बंट में कितने खसरे की भूमि आई हुई हैं, मुझे पता नहीं। उक्त आराजी में कुल 6 बंट होना बताया तथा वादीनी को शादी के समय बंट के पैंसे देना बताया, वादीनी की शादी किस दिनांक, माह व वर्ष में हुई, मुझे पता नहीं, में वादीनी के शादी के समय मौजूद नहीं था, यह कहना गलत है कि पूर्व डिक्री के केन्सीलेशन का वाद सिविल कोर्ट मेड़ता में चलता हो, पूर्व में इसी न्यायालय में बंटवाड़ा कब हुआ, मुझे पता नहीं, खैरूनिशा मेरी सगी भुआ लगती हैं, पूर्व के मुकदमे में खैरूनिशा पक्षकार थी या नहीं मुझे जानकारी नहीं, मैं अनपढ़ शपथ पत्र को पढ़कर नहीं बता सकता, शपथ पत्र में क्या लिखा हुआ हैं, यह सही है कि पूर्व वाद में मैं पक्षकार नहीं था, क्योंकि मेरा जन्म नहीं हुआ था।

9. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीया का कथन रहा कि विवादित जायदाद में वादीया का 1/13 हिस्सा हैं, सम्पति उत्तराधिकार व विभाजन के मामले में मुस्लिम विधि से शासित होते हैं तथा वादीया व प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो मुस्लिम हैं तथा स्व. श्री गफूर खां पुत्र श्री नैनू खां, जाति सिपाही मुसलमान, निवासी मेड़तासिटी के उत्तराधिकारी हैं, जिनकी कुल 240 बीघा कृषि भूमि स्थित हैं, जिनके निधन से उक्त कृषि भूमि उत्तराधिकार के रूप में पक्षकारान को प्राप्त हुई हैं, प्रतिवादीगण ने धोखे से वादीया को बिना पक्षकार बनाये व वादीया को बिना सूचना दिये व वादीया की बिना जानकारी के उक्त मुतनाजा जायदाद की डिक्री करवा ली, जो डिक्री वादीया के विरूद्ध प्रभावहीन हैं व शुन्य हैं तथा उक्त डिक्री फर्जी व धोखे में रखकर वादीया को बिना

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

पक्षकार बनाये प्राप्त की हैं, जिनमें से कुछ आराजी का आराजीयों में से खेत खसरा नं. 2526 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा किस्म बी 3 का अन्तरण सलीम पुत्र निजाम खां जाति सिपाही मुसलमान व फैयाज अली पुत्र श्री सदीक खां, जाति सिपाही मुसलमान, निवासी मेड़तासिटी को कर दिया, जिन्होंने उक्त आराजी का अन्तरण प्रतिवादी सं. 10 को कर दिया, इसी प्रकार खसरा नं. 1822 रकबा 71 बीघा 03 बिस्वा किस्म बी 3 में कुछ भू भाग प्रतिवादी सं. 11 से 17 को पंजीकृत बेचाननामा के अन्तरण कर दिया। उक्त अन्तरण भी वादीनी के विरूद्ध शुन्य व बेअसर हैं। सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्तरण में किसी क्रेता को विक्रेता के हित से अधिक हित का अन्तरण नहीं हो सकता हैं। यदि इस सम्बन्ध में किसी अन्य के हिस्से का अन्तरण किया जाता हैं, तो वो अन्तरण प्रभावहीन शुन्य होता हैं, इसलिए उक्त अन्तरण वादीनी के प्रति शुन्य व प्रभावहीन हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी सं. 10 से 17 को वादीनी के हितों तक किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं तथा राजस्व वाद सं. 03/2001 जिसका फैसला दिनांक 31–08–2004 को हो चुका हैं। उक्त प्रकरण में भी वादीया पक्षकार नहीं थी और न ही वादीया को उक्त प्रकरण की जानकारी थी, उक्त प्रकरण भी वादीया से बाले–बाले व चोरी छुपे प्रतिवादीगण ने न्यायालय से निर्णय व डिक्री पारित करवाई हैं, उक्त निर्णय व डिक्री वादीनी के विरूद्ध प्रभावहीन व शुन्य हैं, क्योंकि उक्त वाद में भी वादीया पक्षकार नहीं थी और दौराने बहस वादीया के अधिवक्ता ने सम्पूर्ण दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुऐ व साक्ष्यों के आधार पर उक्त वाद पत्र के माध्यम से वादीया का 1/13 हिस्सा होना जाहिर किया। अतः वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

10. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 व 5 ने निवेदन किया कि सलीम व खुर्शीद एक ही नाम के व्यक्ति हैं और

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

वर्तमान में उक्त आराजी मौके पर बंटी हुई हैं तथा उक्त आराजी में से प्रतिवादी सं. 10 व 17 को बंट होने के पश्चात् बेचान की हैं और वादीनी को उसकी शादी के समय ही नगद राशि व सोने चांदी के जेवर देकर वादीनी को बंट दे दिया था। इसलिए वादीया का वाद खारिज के हैं, जिसे मय खर्चा व हर्जा खारिज फरमाया जावें।

11. दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4, 6 से 9 ने निवेदन किया कि खुर्शीद व सलीम अलग अलग व्यक्ति हैं, गफूर खां जी के सबसे छोटा पुत्र सलीम था, जो सन् 1966 के वाद में पक्षकार भी नहीं था, उक्त वाद के निस्तारण के बाद में सलीम का जन्म हुआ और वादीनी को उसकी शादी के समय ही नगदी व सोने चांदी के जेवरात देकर उसका हिस्सा दे दिया था, जिससे वादीनी का उक्त मुतनाजा जायदाद में किसी प्रकार का कोई हक, बंट व अधिकार नहीं हैं। वादीनी का 1/13 हिस्सा उक्त मुतनाजा जायदाद में नहीं बनता हैं। इसलिए वादीया का वाद खारिज के हैं, जिसे मय खर्चा व हर्जा खारिज फरमाया जावें।

12. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। तनकीवार न्यायालय के निर्णय इस प्रकार है :–

तनकी सं. 1

13. आया वादीया स्व. श्री गफूर खां की पुत्री हैं। जिसका सिजरा खानदान प्रतिवादी सं. 1 से 9 हैं तथा गफूर खां के खेत खसरा नं. 1822 रकबा 71 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं. 2749 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 2767 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 2517 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 2518 रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 2521 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 2522 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं. 2524 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 2525 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 2526 रकबा 03 बीघा 19

उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (राज.)

Scanned by CamScanner

बिस्वा, खसरा नं. 2523 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 2512 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 505 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं. 506 रकबा 47 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 507 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 2514 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं. 2516 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 2515 रकबा 00 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 240 बीघा आराजी में से वादीया का 1/13 हिस्सा हैं। इस तनकी को साबित करने का भार वादीया पर हैं, वादीया ने अपने वाद पत्र के माध्यम से तथा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि वह स्व. श्री गफूर खां की पुत्री हैं और प्रतिवादी सलीम ने भी अपनी जिरह में वादीया को अपनी बहन होना स्पष्ट स्वीकार किया तथा प्रतिवादी इंसाफ जो डी डब्ल्यू 2 के रूप में न्यायालय में उपस्थित हुआ, उसने भी वादीया को अपनी भुआ होना स्वीकार किया। जिससे यह साबित होता है कि वादीया स्व. श्री गफूर खां की पुत्री हैं और जिससे उक्त सम्पति उत्तराधिकार के रूप में वादीया व प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई हैं और वादीया व प्रतिवादी सं. 1 से 9 मुस्लिम हैं और उत्तराधिकार व विभाजन के मामले में मुस्लिम विधि से शासित होते हैं। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार के सामान्य सिद्धांत के अनुसार मृतक मुस्लिम की सम्पति में से किसी उत्तराधिकारी को उसके उत्तराधिकार से अपवर्जित (ECXCLUSION) नहीं किया जा सकता हैं। मुस्लिम उत्तराधिकार में सम्भावित हिस्सा प्राप्त करने वाली पुत्री वंशज (DESCENDANTS) आती हैं। जिसे कभी भी अपवर्जित पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता हैं, पुत्री अपने मृतक पिता की सम्पति में उत्तरवर्ति हैं। माफिक मुस्लिम विधि अनुसार वादीया अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकाररिणी हैं। उक्त आराजियों के सम्बन्ध में पूर्व में दो मुकदमे के निर्णय व डिक्री हो चुकी हैं, प्रथम मुकदमा सं. 57/1966 तथा द्वितीय मुकदमा नं. 03/2001 हैं। उक्त दोनों मुकदमे में वादीया पक्षकार नहीं थी

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

Scanned by CamScanner

और न ही वादीया को उक्त मुकदमे की जानकारी हैं और न ही राजीनामा में, जवाब दावा में कहीं वादीया के हस्ताक्षर हैं और न ही वादीया को पक्षकार बनाया गया हैं। प्रतिवादीगण ने यह जाहिर किया कि वादीया को शादी के समय नगद राशि व सोने चांदी के जेवरात देकर बंट दे दिया था, लेकिन दौराने साक्ष्य प्रतिवादीगण ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वादीया को बंट के रूप में कितनी राशि दी व कितने सोने चांदी के जेवरात दिये। प्रतिवादीगण की ओर से डी डब्ल्यू 1 के रूप में सलीम उपस्थित हुआ, जिसने अपने बयानों में यह स्पष्ट किया कि खैरूनिशा मेरी सगी बहन हैं, खैरूनिशा का निकाह किस तारीख, माह, वर्ष को हुआ, मुझे पता नहीं, 240 बीघा जमीन के सम्बन्ध में जो मुकदमा हुआ, वह मुकदमा मैंने सत्तार के विरूद्ध किया, जो प्रदर्श 13 हैं, जिसमें खैरूनिशा को पक्षकार नहीं बनाया हैं, न ही राजीनामा में खैरूनिशा के हस्ताक्षर हैं और न ही प्रदर्श 15 से 17 व 20 में खैरूनिशा के हस्ताक्षर हैं तथा सन् 1966 व 2004 में जो मुकदमे हुऐ उन दोनों मुकदमों में खैरूनिशा पक्षकार नहीं थी और न ही कभी कोर्ट आई और मैं आज ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य साथ लेकर नहीं आया, जिससे यह साबित होता हो कि रफीक अहमद कादरी ने ही इन खेतों का म्यूटेशन भरवाया हो। खैरूनिशा को दहेज में क्या दिया वो मेरे को पता नहीं, खैरूनिशा का मायरा किस तारीख माह, वर्ष को भरा गया, मुझे पता नहीं, यह सही है कि उक्त खेत खेती के प्रयोजनार्थ के रूप में काम आते हैं, उक्त प्रकरण में डी डब्ल्यू 2 के रूप में इंसाफ उपस्थित हुआ, जिसने यह स्पष्ट किया कि विवादग्रस्त आराजी के कुल कितने खसरान में हैं, कौन सा खसरा कौन बोता हैं तथा किसके हिस्से में कौन सा खसरा आया हुआ हैं, मैं नहीं बता सकता और वादीया की शादी किस तारीख, माह व वर्ष में हुई मुझे पता नहीं, मैं उस समय मौजूद नहीं था, यह सही है कि वादीया खैरूनिशा मेरी सगी भुआ लगती हैं, यह सही है कि खैरूनिशा पूर्व मुकदमे में

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

पक्षकार नहीं थी, इस प्रकार प्रतिवादीगण ने यह साबित नहीं किया कि वादीया को शादी के समय कितने रूपये, कितना सोना चांदी उपहार स्वरूप बंट में दिये थे, शादी कब हुई थी, यह भी पता नहीं। इसलिए उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रतीत होती हैं और और वादीया ने उक्त तनकी सं. 1 को साबित किया हैं, जिससे उपरोक्त आराजीयों में से वादीया का मुस्लिम विभाजन व उत्तराधिकार के तहत 1/13 हिस्सा बनना पाया जाता हैं। इस प्रकार तनकी सं. 1 वादीया के पक्ष में निर्णीत की जाती हैं।

तनकी सं. 2

14. आया वाद क्रमांक 57/1966 प्रतिवादीगण ने वादीया के बाले–बाले अर्थात वादी की जानकारी के बिना वादी को बिना पक्षकार बनाये डिक्री करवा ली, जिससे वादीया के अधिकार समाप्त नहीं होते और उक्त खेत बेचान प्रतिवादी सं. 11 से 17 पंजीकृत होने पर वादीया के विरूद्ध शून्य व बेअसर हैं। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीया पर हैं, वादीया ने अपने वाद पत्र के माध्यम से जाहिर किया कि मुकदमा नं. 57/1966 में वादीया पक्षकार नहीं थी और वादीया के बाले–बाले, चोरी छुपे उक्त डिक्री प्रतिवादीगण ने पारित करवाई थी, वादीया ने अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित किया कि मुकदमा नं. 57/1966 में वादीया पक्षकार नहीं थी और प्रतिवादीगण की ओर से डी डब्ल्यू 1 के रूप में सलीम व डी डब्ल्यू 2 के रूप में इंसाफ जाहिर हुआ, जिन्होंने अपने बयानों में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया वादीया मुकदमा नं. 57/1966 में पक्षकार नहीं थी और न ही वादीया के उक्त मुकदमे में कोई हस्ताक्षर हैं और न ही वादीया उक्त मुकदमे में कोर्ट में कभी उपस्थित हुई और उक्त मुकदमे से सम्बन्धित दस्तजावेत पत्रावली में उपलब्ध हैं, जिन पर प्रदर्श लगाये गये, उक्त दस्तावेजातों का गहनता से अध्ययन करने पर भी यह साबिता होता है कि वादीया उक्त मुकदमे में

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

पक्षकार नहीं थी और न ही वादीया के उक्त मुकदमे में कोई हस्ताक्षर हैं और न ही वादीया उक्त मुकदमे में कभी कोर्ट में आई। इस प्रकार तनकी सं. 2 वादीया के पक्ष में निर्णीत की जाती हैं।

तनकी सं. 3

15. आया पूर्व में जो बंटवाड़ा (डिक्री) हुई हैं, उसकी जानकारी वादीनी को हैं। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 2 से 5 पर हैं, पूर्व में जो मुकदमा जरिये राजीनामा के बंटवाड़ा हुआ, उक्त मुकदमे में वादीया पक्षकार नहीं थी, न ही वादीया के कहीं हस्ताक्षर हैं और न ही वादीया कभी कोर्ट आई। वादीया ने अपने दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य से यह साबित किया कि पूर्व मुकदमे की वादीया को जानकारी नहीं थी। वादीया को जब खेतों में प्रवेश करने से मना किया, तब वादीया ने अपने पति के मार्फत हल्का पटवारी से उक्त आराजी से सम्बन्धित की नकले निकलवाई, तब वादीया को जानकारी हुई, जिस पर वादीया ने यह वाद पेश किया, प्रतिवादीगण की ओर से डी डब्ल्यू 1 के रूप में सलीम व डी डब्ल्यू 2 के रूप में इंसाफ जाहिर हुऐ, जिन्होंने यह स्पष्ट स्वीकार किया कि पूर्व मुकदमे में वादीया पक्षकार नहीं थी और न ही कभी कोर्ट आई और न ही उसके कहीं हस्ताक्षर हैं। पूर्व मुकदमे से सम्बन्धित दस्तावेजात पत्रावली में मौजूद हैं, जिन पर प्रदर्श लगे हैं, उक्त दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् भी यह साबित होता है कि वादीया पूर्व के मुकदमे में पक्षकार नहीं थी और न ही वादीया के कहीं हस्ताक्षर हैं। इसलिए तनकी सं. 3 भी वादीया के हक में निर्णीयत की जाती हैं।

तनकी सं. 4

16. अन्य अनुतोष, उपरोक्त तनकी सं. 1 व 2 वादीया ने साबित की हैं तथा तनकी सं. 3 जो प्रतिवादीगण को साबित करनी थी, जो प्रतिवादीगण साबित करने में असफल रहे हैं और

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

वादीया ने उक्त तनकी सं. 1 व 2 साबित की हैं, जिससे वादीया का वाद स्वीकार किया जाता हैं और उत्तराधिकार व विभाजन के मामले में मुस्लिम विधि से शासित होते हुऐ वादीया का उक्त आराजी में 1/13 हिस्सा पाया जाता हैं। उक्त आराजी में से जिन प्रतिवादीगण ने प्रतिवादीगण सं. 10 से 17 को जो आराजीयों बेचान की हैं, बेचान के हिस्से तक की आराजी उक्त बेचानकर्ता प्रतिवादीगण के हिस्से से कम होगी तथा बेचानग्रस्त आराजी जो प्रतिवादी सं. 10 से 17 को की गई हैं, उसमें वादीया का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं होगा तथा शेष आराजी में से वादीया का 1/13 हिस्सा होना साबित हैं।

तनकी सं. 5

17. आया वाद सं. 03/2001 का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–08–2004 को होने से वर्तमान वाद काबिल खारिज के हैं। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 5 के जिम्मे था, प्रतिवादी सं. 5 उक्त मुकदमे में डी डब्ल्यू 1 के रूप में उपस्थित हुआ, जिसने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श 13 में मैंने वादीनी खैरूनिशा को पक्षकार नहीं बनाया हैं, प्रदर्श 14 व प्रदर्श 15 से 17 व प्रदर्श 20 में भी खैरूनिशा पक्षकार नहीं हैं और न ही कहीं खैरूनिशा के हस्ताक्षर हैं और न ही उन मुकदमों के सम्बन्ध में खैरूनिशा कभी कोर्ट आई, इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से भी उक्त तनकी सं. 5 प्रतिवादी सं. 5 साबित करने में असफल रहा हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं. 5 सलीम उर्फ खुर्शीद ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का प्रस्तुत इस आशय का किया कि वादीनी ने स्वयं अपने दावा के पैरा सं. 4 में स्वीकार किया है कि उपरोक्त विवादित आराजी का वाद सं. 57/1966 माननीय न्यायालय से डिक्री हो चुका हैं और जिसके अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज भी करवा लिया हैं और राजस्व वाद सं. 03/2001 का निस्तारण भी माननीय न्यायालय से दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
(stamp)

31–08–2004 को हो चुका हैं, उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 22–12–2017 को खारिज किया गया हैं, उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी सं. 5 सलीम उर्फ खुर्शीद माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समख निगरानी प्रस्तुत की हैं, जिसे भी खारिज की गई हैं, इस प्रकार उक्त आदेश अंतिम हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय ए आई आर 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज सं. 392 (लार्जर बेन्च) द्वारा – यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि वाद के किसी भी स्तर पर कोई आदेश पारित किया जाता है, तो वह सबसीक्वेन्ट स्टेज पर रेसज्यूड़ीकेटा लागू होता हैं, इसलिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर भी प्रतिवादी सं. 5 इस तनकी सं. 5 को साबित करने में भी असफल रहा हैं।

इस प्रकार उक्त वाद बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता हैं।

आदेश

अतः वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण विभाजन, आधिपत्य, घोषणा खातेदारी अधिकार अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर घोषित किया जाता है कि स्व. श्री गफूर खां पुत्र श्री नैनू खां, जाति सिपाही मुसलमान, निवासी मेड़तासिटी की कुल 240 बीघा आराजी में से प्रतिवादी सं. 10 से 17 को जो बेचान कर दी हैं, उसको छोड़कर अर्थात 240 बीघा कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण सं. 10 से 17 की भूमि को छोड़कर शेष आराजी में से वादीया को 1/13 हक व हिस्सा घोषित किया जाता हैं तथा वादीनी के 1/13 हिस्से को सेपरेट पजेशन दिया जाता हैं और प्रतिवादी सं. 18 को आदेश दिया जाता है कि उक्त राजस्व अभिलेख में उक्त वर्णित आराजी में से प्रतिवादी सं. 10 से 17 के हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

को छोड़कर शेष आराजी में से वादीया का नाम अमल दरामद किया जावें और वादीया के 1/13 हक, बंट, हिस्से व अधिकार की घोषणा की जाती हैं तथा बंटवाड़े की स्टाम्प डयुटी जमा होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा अन्यथा आदेश नहीं हो, भूमि रहन नहीं हो तथा विधिक बाधा नहीं हो, तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाबता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(काशीराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, मेड़तासिटी

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

18. निर्णय आज दिनांक 15/11/19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(काशीराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, मेड़तासिटी

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.11.29 13:52:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: